Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

न्याय की देवी : भंगाराम माई (बस्तर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग* प्रो. एन. आर. साव**

*** सहायक प्राधयापक (समाजशास्त्र) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.) भारत**
**** सहायक प्राधयापक (हिंदी) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.) भारत**

प्रस्तावना – प्रत्येक क्षेत्र के जनजातियों की अलग-अलग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यतायें होती हैं, जो उनके विशिष्टि पहचान को परिलक्षित करती है। जनजाति समुदाय में मृतकों की पूजा देवतुल्य मानकर की जाती है, आत्माओं का विशिष्ट स्थान होता है। धर्म और जादू-टोना कर मान्यता उनके समाज की आस्थाओं की पूर्ति नहीं करता बल्कि प्रकृति से भी जोड़कर रखता है। धर्म और जादू-टोना शारीरिक और मानसिक आस्थाओं की पूर्ति के साथ-साथ उपयोगी साधन के रूप में समाज में स्थापित प्रचलित मान्यताओं को पूर्नजीवित करती है। धार्मिक शक्तिओं को जब तक नहीं माना जाता, तब तक व्यक्ति और समाज के लिये हितकारी नहीं होता। धर्म लाभदायक और विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। जनजाति समाज में जादू-टोना स्थानीय बीमारियों एवं उनके उपचार के स्वरूप का निर्धारण भी करता है। जीववाद एक जनजाति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिये सार्थक मार्ग प्रशस्त करतें हैं।

बस्तर जनजाति बाहूल्य क्षेत्र है, यह आदिम मनुष्य की सबसे अनोखी और दुर्लभ संस्कृति को संरक्षित करने के साथ-साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तानांतरित भी करती है। जनजातियों के अपने नियम और कानून हैं।

छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र हमेशा से ही लोगों के लिए आर्कषक का केन्द्र है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में अनेक जनजाति निवास करते हैं जिसमें गोड़, मुरिया, दोरला, परजा, भरता, धुवा प्रमुख हैं। इनकी अनोखी परंपराएं रहस्यमयी संस्कृति धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी अनेक देवी देवतायें हैं। ऐसी देवी देवताओं से संबंधित एक प्रमुख देवता है जिनकी अद्भूत अदालत है जो प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान आश्चर्यजनक रूप से देवी देवताओं का अदालत लगता है, यहाँपर जज से रूप में स्थापित देवी **'भंगाराम देवी'** है। देवी देवताओं पर मुकदमा चलाया जाता है और जो भी देवी-देवता अपने कार्यों के प्रति दोषी पायें जाने पर दण्ड भी दिया जाता है। यह अदालत भंगाराम देवी मंदिर में तीन दिनों तक चलती है। इस अद्भूद और अनोखे उत्सव में 240 गाँवों के लोग दिव्य अदालत की प्रक्रिया को जानने के लिए एकत्र होते हैं। जिन देवी देवताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज मिलती है उनकी समस्याओं को सुनकर मुकदमा चलायी जाती है। शिकायतें किसी भी प्रकार की हो सकती है- फसल उत्पादन की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, लंबी बीमारी, गवाही के रूप में मुर्गियों को प्रस्तुत किया जाता है। जिन लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर और समस्या का समाधान नहीं मिल पाता तो वह देवता दोषी माने जाते हैं। गवाही देने और आरोप सत्य पाये जाने पर दोषी देवी-देवता के लिए सजा का निर्धारण होता है। देवी-देवताओं के सजा का निर्धारण दो तरीके से होता है उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है।कभी-कभी उन्हें जीवन भर के लिए अर्थात् आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और दूसरा उन्हें सुधरने का मौका भी दिया जाता है। यहाँ पर परिवारिक देवी-देवताओं से संबंधित एवं ग्राम देवी देवताओं के लिए सजा का निर्धारण होता है। पहले इस मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित था लेकिन विगत दो तीन वर्षो से महिलाओं को भी प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है।

भंगाराम देवी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करने से साफ होता है कि भंगाराम मंदिर की स्थापना 1700-1800 ईस्वी में राजा भाई राम देव के शासन काल में किया गया था। जनजातियों के विषय में विशेषकर बस्तर के संदर्भ में जानकारी रखने वाले प्रबुद्ध विद्धान **प्रो. एम. अली. एन सैय्यद** के अनुसार :- 'जनजातियों के देवी-देवताओं में विविध अंतर पाये जाते हैं सभी गांवों में एक ही तरह के देवी-देवताओं को अराध्य मानकर पूजा पाठ, अराधना करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी देवता को सजा मिलती है तो उसका बहिष्कार किया जाता है। मंदिर के पिछले हिस्से में उन्हें छोड़ दिया जाता है।

स्थानीय ग्रामीणजनों, जनतातियों को इस बात का विश्वास होता है कि भंगाराम देवी द्धारा सुनाया गया फैसला अंतिम फैसला होता है। टॉइम्स ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर डोली, कुल्हाड़ी, बॉक्स, ड्रम जैसे आकार के कुल देवता भी मिले। इन सभी देवताओं की मूर्ति पत्थर और लकड़ियों से बनी होती है। स्पष्ट है कि यहाँ पर मूर्तियों में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से निर्माण किया जाता है।

भंगाराम देवी को लेकर ऐसी मान्यता है कि वह कई शताब्दी पूर्व वारंगल (जो वर्तमान में तेलंगाना) से बस्तर आयी थी। भंगाराम देवी ने यहाँ के स्थानीय राजा से बसने के लिए जमीन भी मांगी थी तब उन्हें केशकाल के पास प्राकृतिक सौन्दर्य और पर्वतों से परिपूर्ण रमणीय स्थल पर जमीन प्रदान की गयी थी। यहाँ पर अवस्थित डॉक्टर खान के बारे में यह कहा है कि, वे आदिवासिओं को हैजा और छोटी माता जैसी महामारी के दौरान मद्द की थी। उन्हें स्थानीय लोग देवतुल्य मानकर देवता का दर्जा दिया था। खान डॉक्टर एक छड़ी के रूप में भंगाराम देवी के मेदिर में स्थापित है। ग्रामीण लोग उन पर नीबू और अण्डे अर्पित करते हैं। डॉक्टर खान नागपुर से बस्तर आये थे, बस्तर में यह वह स्थान है जहाँ पर भक्तगणों के संकट का निदान करने पर देवताओं का परीक्षण और निर्णय किया जाता है। बस्तर के केशकाल घाटी के शिखर पर भंगाराम देवी का दरबार लगता है।

केशकाल में देवी भंगाराम माई का मंदिर न्याय की देवी के रूप में सैकड़ों वर्षों से पूज्यनीय है। जहाँ वर्ष भर में किये गये कार्यों का लेखा जोखा होता है। आदिम व्यवस्थाओं ऐसी है जो हमारी कल्पना से परे है जिन देवी-देवताओं की पूजा पूरी आस्था और विश्वास की जाती है। उन्हीं देवी-देवताओं को भक्तों के शिकायतों के आधार पर दण्ड भी दिया जाता है। यह दण्ड सामान्य दण्ड नहीं होता बल्कि सामूहिक बहिष्कार, निष्काशन, आजीवन सजा, सुधरने का मौका जैसे सम्मिलित हैं। देवी की अदालत में ग्रामीण वकीलों की भूमिका का निर्वहन करते हैं और मुर्गियों को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हर सुनवाई के बाद मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है तत्पश्चात सजा का ऐलान किया जाता है और इसे देवी की इच्छा मानकर स्वीकार किया जाता है। प्रोबेशन और पैरोल की तरह भंगाराम मंदिर में केवल सजा नहीं मिलती बल्कि यहाँ पर देवी सुधार का भी अवसर देती है और अगर सुधर जाते है तो उन्हें फिर से मंदिर में रख लिया जाता है।

इन आस्थामूलक परम्पराओं को बाह्य व्यक्तियों की नजर में मूल्यांकित करना गलत होगा। इस परम्परा को मंदिर के पांचवी और छठीं पीढ़ी के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष बात यह है जिन देवी-देवताओं के आरोप सिद्ध हो जाते हैं उनकी मूर्तियों पर लगी सोने और चांदी के श्रृंगार को नहीं हटाया जाता। अब तक बाहर रखी मूर्तियों की चोरी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है क्योंकि जनजातियों की मान्यताएं हैं कि उनका ऐसा कृत्य दैविय न्याय की मांग करेगा। किसी भी अदालत की तरह मंदिर में एक बही-खाता भी रखा जाता है जिसमें सभी मामलों का विवरण सूचीबद्ध होता है। आरोपी देवताओं की संख्या, उनके कथित अपराधों की प्रकृति, गवाह और अंतिम निर्णय सब कुछ इनमें दर्ज होता है। हर चीज का दस्तावेजीकरण होता है कि कितने देवता उपस्थित हुए और कितने को दण्डित किया गया है।

प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था भिन्न-भिन्न होती है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए कुछ नीति-नियमों का निर्माण किया जाता है, जो नियमों का पालन करते हैं तो समाज में व्यवस्था बनती है और जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करने उन्हें दण्डित भी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार देवी-देवताओं से संबंधित भी नियम होते हैं उन्हे अपने कर्जव्यों का निर्वाह करना होता है।अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करने पर दण्डित होना पड़ता है। बस्तर जिले के केशकाल कस्बे में प्रतिवर्ष **भादों जात्रा उत्सव** उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ की भंगाराम देवी इस क्षेत्र के **नौ परगना** के राजस्व ग्राम में स्थापित एक हजार से भी अधिक ग्राम देवी देवताओं की प्रमुख अराध्य देवी है। भादो महीने के अंतिम शनिवार को सभी भंगाराम देवी के दरबार में उपस्थित होते हैं। इससे पूर्व देवी भंगाराम की सेवा, अराधना, पूजा, लगातार छ: शनिवार तक होती है। उपस्थित देवी देवताओं का परम्परानुसार स्वागत कर उन्हें पद और प्रतिष्ठा के अनुसार स्वागत करके स्थान दिया जाता है। इनके साथ प्रतिनिधि के रूप में पुजारी, गायता, सिरहा, ग्राम प्रमुख, मांझी-मुखिया और पटेल भी सम्मिलित होते हैं। पूजा-सत्कार के पश्चात वर्ष भर प्रत्येक गांव के सुख-शांति, सबके स्वस्थ्य रहने, अच्छी उपज और किसी भी तरह से दैवीय आपदा से हर जीव की रक्षा के लिए मन्नत मांगी जाती है। देवी देवताओं को प्रसन्न और शांत रखने के लिए प्रथानुसार बलि और अन्य भेंट भी दी जाती है। बिना मान्यता के किसी भी नये देव की पूजा का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। यहाँ सजा के प्रावधान होते हैं वह भी लोगों को अचंभित करने वाला होता है। न्यायाधीश के रूप में भंगाराम देवी सजा का निर्धारण करती है। देवी-देवताओं को यहाँ निलम्बन, बर्खास्तगी, मान्यता समाप्ति से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाती है।इस पूजा में 20 कोस बस्तर, 7 पाली ओड़िसा, 10 परगना सिहावा के 500 से अधिक देवी-देवता सम्मिलित होते हैं। वर्ष भर में लगने वाले इस मेले में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। भंगाराम माई के अलावा डॉक्टर देव, किसौली देव, फॅण्डपार बाबा भी उपस्थित होते हैं। इस वर्ष 200 आंगा देव, डोली, छत्र, डाँग के अनेक देवी देवता शामिल हुए। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि हर विपत्ति के लिए देवी-देवता ही जिम्मेदार होते हैं, विभिन्न गांवों से आये देवी-देवताओं में से शैतान देवी देवताओं की शिकायत की जाती है। तत्पश्चात आंगा, डाँग, डोली के साथ लाए गये मुर्गी, बकरी, डाँग को खाई नुमा गहरे गड्ढे के किनारे फेक दिया जाता है। उन्हें ग्रामीण कारागार (जेल) कहते हैं। वास्तव में धर्म एक ऐसी शक्ति है जो उस विश्वास और अधिमान्यताओं को दर्शाता है जो मानवीय सोंच से परे होते हैं। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगीकरण के विकास होने के कारण इसका प्रभाव सभी समाजों में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन परिवर्तन के इस दौर में उसपर अटूट विश्वास, धर्म और धार्मिक मान्यताओं को जीवंत रख कर अपने विशिष्टि पहचान से साक्षात्कार कराते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 NBT नवभारत टाईम्स 08 सितम्बर 2024, https:/ naybharattimes.indiatimes.com
2. जनसत्ता 10 सितम्बर 2024 (पवन उप्रेती)
3. The Times Of India
4. NDTV India
5. बस्तर भूषण
6. Express MPCG NEWS
7. Research Journal of Humanities and Social Science.

****